न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–18/2013

उनवान

1. इमत्याज खातून बेवा शब्बीर खां
2. अब्दुल जब्बार पुत्र शब्बीर खां
3. रज्जाक खां पुत्र शब्बीर खां
4. महमूद खां पुत्र शब्बीर खां
5. हफीज खां पुत्र शब्बीर खां

समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

बनाम

1. जीवन खां पुत्र करामत खां जाति मुसलमान नि0 ग्राम तिगरियां, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर (मृत्तक)
   - 1/1 – कल्लो खातून पुत्री जीवन खां पत्नी इरमाईल खां जाति मुसलमान नि0 हस्तेडा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर
   - 1/2 – मेहरूनीसा उर्फ काली पुत्री जीवन खां पत्नी साजिद खां जाति मुसलमान नि0 दायरा, तह0 खण्डेला जिला सीकर
   - 1/3 – अयुब खां पुत्र जीवन खां
   - 1/4 – लियाकत अली उर्फ मंजर पुत्र जीवन खां
   - 1/5 – अताउल्लाखां पुत्र जीवन खां
   - 1/6 –जुबेदा खातून पुत्र जीवन खां पत्नी ऐजाज खां

   समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण/वादीगण–

2. उपपंजियक चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण–

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 एवं 151सी.पी.सी.

आदेश

दिनांक :–25.09.2019

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 6 की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी भूमि स्थित है, जो खाता संख्या नई पुरानी 139/192 के तहत खसरा नम्बर 1543 रकबा 0.89 है0, खाता संख्या नई पुरानी 140/163 के तहत खसरा नम्बर 1537 रकबा 0.01 है0, गै0मू0 चाह, खसरा नम्बर 1538

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

रकबा 0.41 है0, चाही प्रथम कुल किता 2 का कुल रकबा 0.42 है0 है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का 1/2 हिस्सा निहित है तथा शेष 1/2 हिस्सा वादी जीवन खॉ पुत्र करामत खॉ का निहित है। वादी द्वारा एक वाद संख्या 860/29/04 न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसकी जानकारी मिन प्रतिवादीगण को कभी भी नहीं हुई। वादी द्वारा दिनांक 24.02.2013 को ग्राम तिगरिया मे जोर--जोर से ऐलानियां कहने पर कि मैने शामलाती खातेदारी भूमियों का तुम्हारी गैर मौजूदगी में दिनांक 17.12.2012 को मेरे हक में निर्णय व डिक्री करवा ली है, जिसमें तुम्हारे द्वारा लगाये गये बेशकिमती आम, नीबू, आंवला आदि के पेडों वाली जमीन भी मैने अपने नाम करवा ली है तथा अब मैं उक्त जमीन को दीगर लोगों को बेचान करके रहूंगा। यह ऐलानियां धमकी प्रतिवादीगण के छुट्टी पर गांव आने पर वादी द्वारा दी गयी। इसके अलावा वादी द्वारा कभी भी मिन प्रतिवादीगण को उक्त मुकदमें का इल्म भी नहीं होने दिया।

उक्त ऐलानियां धमकी पर मिन प्रतिवादोगण द्वारा दिनांक 27.02.2013 को न्यायालय श्रीमान् के यहां उक्त मुकदमा संख्या 860/29/04 की पत्रावली अपने अधिवक्ता से जरिये मिसल निरीक्षण प्रार्थना पत्र के मिसल का निरीक्षण किया तो ज्ञात हुआ कि वादी द्वारा बाला–बाला मिन प्रतिवादीगण की गैर मौजूदगी में उक्त दावा तकासमा व स्थायी निषैधाज्ञा का दिनांक 17.12.2012 को निर्णय व डिक्री करवा लिया गया। जिस पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने उसी दिन पत्रावली की नकल हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया और पत्रावली की नकल दिनांक 01.03.2013 को प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई। जिसमें आर्डरशीट में दिनांक 02.08.2004 को प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 5 की तामिल न्यायालय श्रीमान् द्वारा मानी जाकर प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति दर्ज कर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गयी तथा दिनांक 29.01.2009 को प्रतिवादीगण संख्या 6 की एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। जो इकतरफा कार्यवाही भी अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। क्योंकि उक्त प्रकरण में जारी नोटिस विधि सम्मत् तरीके से तामिल नहीं कराये गये है। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही वादी द्वारा कारकूनान से साझकर तथा मिन प्रतिवादीगण के हक अधिकारों के साथ खिलवाड करते हुए की गयी है, जो न्यायालय श्रीमान् द्वारा जारी नोटिस दिनांक 01.06.2004 को देखने से स्पष्ट जाहिर होता है कि दिनांक 01.06.2004 को न्यायालय श्रीमान् द्वारा जारी नोटिस की अग्रिम दिनांक 12.07.2004 नियत थी, उक्त नोटिस की पुश्त पर तामिल कुनिन्दा द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 12.07.2004 को ही कार्यालय में बैठे–बैठे अंकित कर दी गयी, जबकि उक्त तामिल कुनिन्दा कभी भी ग्राम तिगरिया में मिन प्रतिवादीगण के घर नही गया और दो गवाह के हस्ताक्षर करवा लिये गये, जिनको मिन प्रतिवादीगण कभी भी नहीं जानते है

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

तथा मिन प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 5 सरकारी कर्मचारी है तथा प्रतिवादी संख्या 6 उक्त दिनांक को अपनी पढाई के सिलसिले में बाहर गया हुआ होने के कारण घर पर नहीं होने के बावजूद तामिल कुनिन्दा ने मनमानी रिपोर्ट आसामी घर पर मौजूद नही मिला, अतः नोटिस की एक प्रति खुल्ले मकान पर चस्पा की, की रिपोर्ट के साथ नोटिस को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, जबकि नोटिस की प्रति खुल्ले मकान पर चस्पा करने का आदेश न्यायालय श्रीमान् द्वारा कभी भी पत्रावली में अंकित नहीं किया गया, के बावजूद तामिल कुनिन्दा द्वारा मनमाने तरीके से बिना न्यायालय के आदेश के तामिल प्रस्तुत की गयी है, जो कि वादी से मिलीभगत कर सम्पूर्ण कार्यवाही को अमलीजामा पहनाया है। उक्त तामिल कुनिन्दा दिनांक 12.07.2004 से पूर्व पत्रावली में गत तारीख पैशी दिनांक 05.04.2004 के नोटिस भी लेकर गांव में जाना, बताया, जिसकी पुश्त पर तामिल कुनिन्दा द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट की गयी है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 किसा विभाग में सर्विस करते है और प्रतिवादी संख्या 6 मजदूरी हेतू बाहर गया हुआ होने के कारण तामिल न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जिसको न्यायालय द्वारा तामिल पूर्ण नहीं मानते हुए पुनः नोटिस जारी किये गये है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद जो डिक्री किया गया है, वो मिन प्रतिवादीगण के हक अधिकारों के विरूद्ध होने के कारण डिक्री को निरस्त किये जाने योग्य है

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 6 की ओर से प्रस्तुत प्रा0 पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि उक्त आराजीयात का ग्राम तिगरिया में अवस्थित होना स्वीकार किया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ताओ को मूल वाद कमांक 860/29/04 एवं वाद के अन्तिम रूप से निर्णय तथा वाद निर्णय उपरान्त मान्य न्यायालय द्वारा जारी डिक्री आदेश एवं डिक्री ओदशें की अनुपालना में माननीय तहसीदार, चौमू द्वारा उक्त वाद में विवादित आराजियात के विधिसम्मत विभाजन की पूर्ण जानकारी रही है तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस विधिसम्मत तरीके से प्रतिवादीगण को तामिल हुए है। जो रिकॉर्ड पर है।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रा0 पत्र में लिखित कथनों को दोहराते हुए प्रा0 पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी/वादी द्वारा अपने जवाब में वर्णित कथनों को दोहराते हुए प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रा0 पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया। मूलवाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 ता 5 की एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 02.08.2004 को की गई है एवं प्रतिवादी सं0 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 29.01.2009 को की गई है प्रतिवादी संख्या 2 का

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

जवाब दिनांक 19.06.2006 को प्रस्तुत होने के बाद तनकी कायम की जाकर दिनांक 15.06.2011 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है एवं अंतिम डिक्री दिनांक 17.12.2012 को जारी की गई है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 ता 6 की तामिल न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2004 को तामिल को विधिवत नही माना जाकर दिनांक 15.03.2004 को पुनः तामिल जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये जिसमें दिनांक 01.06.2004 को तामिल पुनः जारी की जाकर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तामील करवाई गई उक्त तामिलो को देखने से स्पष्ट है कि उक्त तामील प्रार्थीगण के खुले मकान पर चस्पा किया जाकर दो गवाहों के हस्ताक्षर मय पता अंकित किये गये है इससे पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तामील सही व पूर्ण है जिसके आधार पर ही प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 02.08.04 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 जुम्मन खां को भी प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है जिसने उपस्थित होकर प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में भाग लिया गया है। जो कि उक्त प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का सगा भाई/पुत्र है जिसे भी प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी रही है। उक्त वाद की प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1, 3 ता 6 को प्रारम्भ से ही जानकारी रहने से व वाद तकासमा का होने के कारण प्रा0 पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 व संहपठीत धारा 151 सीपीसी का खारिज किया गया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
चौमूं

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.11.28 11:57:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: